न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : आर. के. मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 16/2021 राजस्व अपील

1. ग्यारसा पुत्र नारायण जाति मीना निवासी गांगदवाडी तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 14.08.2020 न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय मुकदमा नम्बर 83/2020 बउनवानी सरकार बनाम ग्यारसा अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति : श्री गोविन्द शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: पैरोकार सरकार उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांकः 18.02.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के विरूद्ध एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकराय के समक्ष इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट ने सम्वत 2077 में खसरा नम्बर 1111/255 ग्राम गांगदवाडी तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि 0.15 है. पर चरी की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट की प्रोपर तामील हुए बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से अपीलान्ट को सुनवाई का मौका नहीं दिया एवं एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय पारित कर दिया तथा अपीलान्ट को 45/– रूपये शास्ति एवं 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का निर्णय दिनांक 14.08.2020 को पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकराय के उक्त निर्णय दिनांक 14.08.2020 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय के सामान्य प्रक्रिया के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का सही प्रकार से विवेचन नहीं कर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट के विरूद्ध किसी प्रकार के कोई जुर्म के साक्ष्य नहीं मिलने के बाद भी अपीलान्ट को दोषी मानते हुए दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया तथा अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं होने के बावजूद भी अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी बता दिया जबकि पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी का कोई भी सबूत नहीं है।

अति. जिला कलक्टर
दौसा